3/1/12

(11/56)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज अपील/डिकी/टी.ए./5114/2011/सीकर नारायणसिंह बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
30-11-2011	<u>खण्डपीठ</u> श्री सुबोध अग्रवाल, सदस्य श्री ताराचन्द सहारण, सदस्य उपस्थित– श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता, अपीलार्थी श्री हंगामीलाल चौधरी, उप राजकीय अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण <u>निर्णय</u> अपीलार्थी ने यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14–5–2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, सीकर के न्यायालय में प्रतिवादी के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 188, 92–ए तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत विवादित आराजी बाबत् प्रस्तुत किया। तत्पश्चात् विचारण न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत को दिनांक 11–9–2002 को वाद में पक्षकार संयोजित किया गया तथा संशोधित वादपत्र प्रस्तुत करने की स्वीकृति मिलने के बावजूद भी संशोधित वाद पत्र पेश नही किया तथा सिर्फ संशोधित शीर्षक ही पेश कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत के विरूद्ध वादपत्र में कोई रिलीफ होना नहीं मानते हुए प्रस्तुत वाद नियमानुसार पेश नहीं होने के कारण खारिज कर दिया। इस निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14–5–2010 से खारिज कर दी। इसी निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 326 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा वादी अपीलार्थी की पैतृक भूमि थी, जिस पर अपीलार्थी काबिज काश्तकार है सैटलमैन्ट विभाग के कर्मचारियों ने दौराने भू–प्रबन्ध खसरा नम्बर 326 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 609 रकबा 2.33 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 610 रकबा 0.15 हैक्टयर कुल किता 2 रकबा 2.48 हैक्टयर (09 बीघा 18 बिस्वा) बनाये। भू–प्रबन्ध विभाग की गलती से खसरा	

WR

30/11/11

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज अपील/डिकी/टी.ए./5114/2011/सीकर नारायणसिंह बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए

नम्बर 326 के पूर्वी भाग का रकबा 0.23 हैक्टयर भूमि का नया खसरा नम्बर 608 अंकित कर दिया तथा उसकी किस्म गैर मुमकिन चारागाह दर्ज कर दी जबकि खसरा नम्बर 608 पुराने खसरा नम्बर 326 का ही भाग है तथा भू–प्रबन्ध विभाग को विवादित भूमि चारागाह दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं है। वादी अपीलार्थी द्वारा राज्य सरकार के विरूद्ध ही अभिलेख में संशोधन का दावा प्रस्तुत किया था। ग्राम पंचायत के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया था। ग्राम पंचायत को पक्षकार बनाने की आवश्यकता भी नहीं थी फिर भी न्यायालय के आदेश से ओपचारिक पक्षकार बनाकर संशोधित शीर्षक पेश कर दिया था परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा वादी अपीलार्थी के वाद को ग्राम पंचायत के विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष का कथन न करने तथा संशोधन की स्वीकृति के बाद भी वाद में संशोधन न करने का अंकन करते हुए दावा नियमानुसार पेश नहीं होना मानते हुए खारिज किया तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा भी इस बिन्दू पर कोई गौर नही कर विधिक त्रुटि की गयी है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को निरस्त किया जाकर प्रकरण पुनः विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी को गुणावगुण पर निर्णय हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे।

इसके विपरीत योग्य उप राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी को विधिसम्मत् बताते हुए अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील को खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं पारित निर्णयों का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया।

प्रस्तुत प्रकरण के सम्बन्ध में विचारण न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आधार को उद्धत करना उचित समझते है, जो निम्नानुसार है–

<u>विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर निर्णय दिनांक–30–10–2002</u> – "चारागाह भूमि की खातेदारी बिना ग्राम पंचायत को पक्षकार बनाये दुरूस्त नहीं की जा सकती है जबकि वादी ने ग्राम पंचायत को शुरू में पक्षकार नहीं बनाया तथा अदालत हाजा में दिनांक 11–9–2002 को ग्राम पंचायत को पक्षकार बनाकर संशोधित वादपत्र पेश करने की स्वीकृति मिलने के बावजूद भी संशोधित वादपत्र पेश नहीं किया तथा सिर्फ संशोधित शीर्षक ही पेश कर दिया तथा ग्राम पंचायत के विरूद्ध वाद में कोई रिलीफ नहीं होते हुए भी ग्राम पंचायत का जवाब दावा भी पेश हो चुका है। इस प्रकार यह वाद नियमानुसार ही पेश नहीं होने के कारण प्रथम दृष्टया ही खारिज होने योग्य है।"

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज अपील/डिकी/टी.ए./5114/2011/सीकर नारायणसिंह बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए

अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर निर्णय दिनांक 14–5–2010 – "योग्य अदालत मातहम ने अपने निर्णय में अंकित किया है कि ग्राम पंचायत के विरूद्ध दावा करने पर ही चारागाह की किस्म दुरूस्त की जा सकती है जबकि वादी ने ऐसा नहीं किया है। वादी ने केवल ग्राम पंचायत को वाद में पक्षकार बनाया है, उसके विरूद्ध दावा पेश नहीं किया है। यह तथ्य रिकार्ड आधारित है। अतः योग्य अदालत मातहत का निर्णय विधि संगत है जिसमें किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।"

प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि मूल वाद में राज्य सरकार को ही पक्षकार बनाया गया था। तदुपरान्त विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 11–9–2002 को ग्राम पंचायत को पक्षकार संयोजित किये जाने का आदेश पारित किया गया जिसकी अनुपालना में वादी अपीलार्थी द्वारा ग्राम पंचायत को अप्रार्थी संख्या–3 संयोजित कर संशोधित शीर्षक प्रस्तुत कर दिया परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा संशोधित वादपत्र प्रस्तुत करने की स्वीकृति मिलने के बावजूद भी वादी द्वारा संशोधित वाद पत्र पेश नही कर सिर्फ संशोधित शीर्षक ही पेश किया जाना मानते हुए मूल वादपत्र में ग्राम पंचायत के विरूद्ध कोई रिलीफ अंकित नहीं होने के आधार पर प्रस्तुत वाद नियमानुसार पेश नहीं होने के कारण खारिज कर दिया। अपीलीय न्यायालय द्वारा भी पारित निर्णय को विधिसम्मत् होना मानते हुए, पारित निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हुए वादी अपीलार्थी की अपील को खारिज किया है। चूंकि वादी अपीलार्थी द्वारा विवादित आराजी खसरा नम्बर 326 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा पैतृक भूमि थी जिस पर वादी अपीलार्थी काबिज काश्तकार होना अंकित किया है तथा सैटलमैन्ट विभाग के कर्मचारियों द्वारा दौरान भू–प्रबन्ध के दौरान खसरा नम्बर 326 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 609 रकबा 2.33 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 610 रकबा 0.15 हैक्टयर कुल किता 2 रकबा 2.48 हैक्टयर (09 बीघा 18 बिस्वा) बनाये। भू–प्रबन्ध विभाग की गलती से खसरा नम्बर 326 के पूर्वी भाग का रकबा 0.23 हैक्टयर भूमि का नया खसरा नम्बर 608 अंकित कर दिया तथा उसकी किस्म गैर मुमकिन चारागाह दर्ज कर दी जबकि खसरा नम्बर 608 पुराने खसरा नम्बर 326 का ही भाग है। प्रथमतः तो ग्राम पंचायत के विरूद्ध कोई अनुतोष चाहा ही नहीं गया था क्योंकि यह चारागाह भूमि ग्राम पंचायत के खाते की भूमि न होकर राजकीय भूमि दर्ज की गई है, ग्राम पंचायत तो राज्य सरकार के खाते की चारागाह भूमि की देखरेख के लिए मात्र प्रबन्धक होता है, न कि मालिक या

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज अपील/डिकी/टी.ए./5114/2011/सीकर नारायणसिंह बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए

खातेदार। जिसके कारण उपखण्ड अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत को पक्षकार संयोजित करने का आदेश ही गलत था, फिर भी ओपचारिक पक्षकार उसे बना लिया गया। यह भी स्पष्ट नहीं है कि उसके उपरान्त वादपत्र में क्या संशोधन चाहा जा रहा था, जिसकी कमी के कारण वादपत्र को ही खारिज कर दिया गया। अपीलीय न्यायालय ने भी इस बिन्दू पर जो अपना मत प्रकट किया है वह भी कानूनी दृष्टि से उचित नहीं है। उक्त से स्पष्ट है कि दोनों ही अधीनस्थ न्यायालय इस कानूनी बिन्दू पर अनभिज्ञ है हालांकि दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों का इस प्रकरण में कोई बदनियतिपूर्ण कार्यवाही किया जाना तो परिलक्षित नहीं होता है परन्तु कानून की अनभिज्ञता के कारण अपीलार्थी का समय एवं धन बर्बाद हुआ है। अतः भविष्य में अधिक सर्तकता के साथ कार्यवाही करने की हिदायत दी जाती है।

चूंकि विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण के गुणावगुण पर किसी प्रकार का कोई विवेचन एवं विश्लेषण नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त उल्लेखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण के गुणावगुण पर किसी प्रकार की टिप्पणी किये बिना अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी को निरस्त किया जाकर प्रकरण पुनः विचारण न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

परिणामतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील श्रवणार्थ ग्रहण किये जाने के स्तर पर ही स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी कमशः दिनांक 30–10–2002 एवं 14–5–2010 निरस्त किये जाते है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, सीकर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण के तथ्यों एवं कानूनी बिन्दूओं के आधार पर उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिसम्मत् निर्णय पारित करे।

उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण को निर्णय से सूचित किया जावे तथा अधीनस्थ न्यायालयों को निर्णय प्रति नियमानुसार पालनार्थ भिजवाई जावे।

पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30-11-2011

(ताराचन्द सहारण)
सदस्य

(सुबोध अग्रवाल)
सदस्य